IN THE COURT OF BOARD OF REVENUE M.P. AT GWALIOR

62

COURT FEE INDIA भारत एक रुपया ONE RUPEE

APPLICANTS : 1706-II/07

(1) Brish Bhanjan Prasad Mishra S/o Late Shri Gop Nayak Prasad Mishra aged about 58 Years R/o Village Rimari P.O. Rimari Occupation Agriculture and Service P.S. Sabhapure Tahsil Majhagawa, District SATNA (M.P.)

आज दि० 12-10-07 को प्रस्तुत। अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

(2) Dinkar Prasad Mishra S/o Shri Surendra Kumar Mishra R/o Village Rimari Tehsil Majhigawan, District SATNA (M.P.)

(3) Dinesh Prasad Tripathi S/o Ram Sujan Tripathi aged about 42 years occupation agriculture R/o Village Rimari P.S. Sabhapure, Tahsil Majhawan Distt. SATNA (M.P.)

NOTARY

VERSUS

NON APPLICANTS:

(1) Mithilesh Prasd Mishra S/o Raj Mani Mishra aged about 35 years R/o Village Rimari Tahsil Majhigama P.S. Sabhapure, Distt. SATNA (M.P.)

(2) Ram Ji Tiwari S/o Late Shri Rajaram Tiwari R/o Village Rimari aged about 30 years Occupation Agriculture P.S. Sabhapure District SATNA (M.P.)

(3) State of M.P. Through Collector SATNA (M.P.)

11-10-07 K.K. Dwivedi

Revenue revision U/s 50 of the M.P. Land Revenue Code against the Judgement passed by Honourable Shri V.K. Singh Additional Commissioner Rewa (M.P.) in Revenue revision

NOTARY Rajendra Prasad Tiwari Area Rewa (M.P.) Reg No. M.P-31/11/1/07 (INDIA) 5085

K.M. Tripathi Advocate, Rewa.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1706–दो/07 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.7.16	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा सभाग रीवा के प्रकरण कमांक 22/निगरानी/03–04 में पारित आदेश दिनांक 22–8–07 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है अनावेदक द्वारा आराजी कमांक 658, 661/1, 661/2, 661/3, 665/1, 665/2, 666, 667, 668, किता 9 जुमला रकवा 17.41 एकड़ मौजा ग्राम निमहा तहसील रामपुर बघेलान सतना म0प्र0 सीमांकन करये जाने हेतु नायब तहसीलदार वृत्त कोटर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया एवं तत्पश्चात एक आवेदन कलेक्टर सतना केसमक्ष प्रस्तुत किया कि सीमांकन हेतु आवेदित भूमियों का सीमांकन संयुक्त टीम गठित कर सीमांकन कार्य कराया जावे। जिस पर से कलेक्टर जिला सतना द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख सतना को सत्संबंध में आदेशित कर संयुक्त दल गठित कर सीमांकन कराने के आदेश प्रसारित किया। अधीक्षक भू–अभिलेख के माध्यम से आदेशानुसार सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन हेतु संयुक्त टीम गठित कर दिनांक 27.5.2001 को मौके में उन्हें सीमांकन	

क्रमशः

कार्य करने हेतु सूचना जारी कर आदेश जारी किया गया। सीमांकन हेतु अधिकृत संयुक्त टीम ने दिनांक 27.5.01 सूचना अनुसार सीमांकन हेतु आवेदित भूमियों का चौहददी के कास्तकार एवं पक्षकारान उपस्थित रहे परंतु अनावेदक ने उक्त तिथि को परिवर्तित कराकर मनमाने ढंग से दिनांक 3. 6.2001 की तारीख सीमांकन हेतु निश्चित करा लिया जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं दी। दिनांक 3.6.2001 को ही चल रहे सीमांकन दल से आपत्तिकर निवेदन कर कहा कि हमें बिना जानकारी दिये यह सीमांकन कार्य किया जा रहा है एवं बिना बन्दोबस्ती नक्शा के सीमांकन कार्य किया जा रहा है, जो सही नहीं है गस्ती नक्शे के आधार पर सीमांकन किया जा रहा है जो ग्राह्य योग्य नहीं है। बिना बन्दोबस्ती नक्शा के आधार पर सीगांकन किया जा रहा है वह प्रकिया के बिलकुल गलत है। दल द्वारा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख को प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर जिला सतना को प्रस्तुत किया तथा वहां से प्रकरण आदेश हेतु नायब तहसीलदार बृत्त कोटर तहसील रामपुर बघेलान के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें नायब तहसीलदार के समक्ष 23.10.2001 को नायब तहसीलदार वृत्त कोटर तहसील रामपुर बघेलान द्वारा सीमाकंन प्रतिवेदन के आधार पर मान्य किया । इससे परिवेदित होकर दिनांक 10.12.01 को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रकरण में दिनांक 13.3.12 नियत की गई उसी दोरान राजस्व मण्डल द्वारा उक्त प्रकरण मंगालिया गया और उनके द्वारा प्रकरण राजस्व मण्डल को भेज दिया गया। उसी समय से यह प्रकरण यहां प्रचलनशील है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया और गुण दोष के आधार पर निराकरण कर दिया गया। उक्त प्रकरण कायमी योगय नहीं होने से निरस्त योग्य है। उनका आगे यह भी तर्क है कि सीमांकन दल द्वारा सीमांकन बिना नक्शा की तरमीम के सीमांकन किया गया है वह निरस्त योग्य है। आगे उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। जिससे आवेदकगण को न्यायदान मिल सके।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मेरे द्वारा अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.8.2001 को नायब तहसीलदार वृत्त कोटर को संयुक्त सीमांकन टीम बनाकर सीमांकन प्रमाणीकरण किये जाने बावत निर्देशित किया गया था। जिस पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 23.10.01 को सीमांकन की पुष्टि कर दी तथा पूर्व निगरानी प्रकरण कमांक 1/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 5.12.01 को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि पक्षकारों को लिखित सूचना देकर सीमांकन कार्यवाही की जाय । इन दोनों आदेशों को तहसीलदार के द्वारा पालन किया गया है जिसके विरूद्व निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में की गई है जो विधि सम्मत है। अपर आयुक्त द्वारा जो आदेश

पारित किया गया है वह विधि सम्मत है इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 22.8.07 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों।

सदस्य